

खबर संक्षेप



खग सोलर सम्मान से नवाजी गई कंपनी

भिलाई। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए होप एनर्जी को प्रतिष्ठित टॉप परफॉर्मर-छत्तीसगढ़ सोलर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कंपनी के बेहतर प्रदर्शन, टीम की मेहनत और ग्राहकों के भरोसे को मिली महत्वपूर्ण पहचान के रूप में देखा जा रहा है। होप एनर्जी के डायरेक्टर सुशांत चौबे, सुयश तिवारी ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। ग्राहकों के विश्वास और सहयोगियों के निरंतर समर्थन ने कंपनी को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। होप एनर्जी की ओर से कहा गया कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना कंपनी की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह सम्मान टीम के लिए केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विस्तार की जिम्मेदारी को और मजबूत करने वाला अवसर है।

6 सितंबर को जिला स्तरीय तीज मिलन
दुर्ग। छत्तीसगढ़ निषाद (कैवट) समाज दुर्ग जिला संगठन द्वारा 6 तहसीलों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथग्रहण एवं जिला स्तरीय तीज मिलन समारोह का आयोजन 6 सितंबर को स्वामी विवेकानंद हॉल सभागार, जेल चौक, दुर्ग में किया जाएगा। साथ ही विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन होगा।

मरोदा के तीन वार्डों में डेढ़ करोड़ से होंगे विकास कार्य

हरिभूमि न्यूज ►►मिलाई

रिसाली के पटरी पार क्षेत्र वार्ड 13 टंकी मरोदा, वार्ड 14 मरोदा कैप और वार्ड 15 मोहारी मरोदा क्षेत्र में एक करोड़ अंदावन लाख तिरसठ हजार

■ विधायक ललित ने 53 लाख से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

से विकास कार्य कराया जाएगा। मंगलवार को दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर व रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने भूमिपूजन किया। वें सबसे पहले मोहारी मरोदा पहुंचे। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नागरिकों से कहा कि निगम क्षेत्र के पटरी पार क्षेत्र मरोदा, नेवई में लगातार विकास कार्यों को सूचीबद्ध कर भूमिपूजन किया जा रहा है। एक माह से इसकी शुरुआत की गई है और अंतिम छोर पुरेना से भूमिपूजन करते आ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद के प्रयास और नागरिकों के प्राथमिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि बहुत सारे विकास कार्यों की मंजूरी प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पश्चात वें पुनः वार्डों में दौरा करेंगे। कार्यक्रम को महापौर शशि सिन्हा ने भी संबोधित किया। उन्होंने निगम क्षेत्र में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए नागरिकों को बधाई दी। भूमिपूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू,

कलेक्टर का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, बिना अनुमति भीड़ पर कार्रवाई

अब प्रमुख मार्गों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, तितुरडीह में तय हुआ नया स्थल

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

ला मुख्यालय के प्रमुख और व्यस्त मार्ग अब धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत इन मार्गों और उनके किनारे राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली या जुलूस आयोजित करने पर रोक लगा दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन के लिए तितुरडीह में नगर निगम के जल शोधन संयंत्र के सामने स्थित रिक्त परिसर को निर्धारित किया है। यानी अब जिला मुख्यालय में आंदोलन करने वाले संगठनों को चिन्हित स्थल पर ही प्रदर्शन करना होगा। प्रशासन ने राजनांदगांव-पुलगांव-दुर्ग मुख्य मार्ग पर गंजपारा चौक से मालवीय नगर चौक तक, जेआरडी स्कूल से दुर्ग सेंट्रल जेल के मुख्य गेट तक, कब्रिस्तान से केंद्रीय विद्यालय, आरटीओ कार्यालय, खालसा स्कूल होते हुए मालवीय नगर चौक तक तथा सुरना कॉलेज से मानस भवन मार्ग होते हुए चर्च चौक तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई है। इन स्थानों पर टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, टेंट, शामियाना, माइक, साउंड सिस्टम लगाने और भीड़ एकत्र करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस और प्रशासन को छोड़कर लाउडस्पीकर या सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली तथा तेज आवाज वाले अन्य उपकरणों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।

टेंट, साउंड सिस्टम और बैनर तक जब्त किए जाएंगे

नियम तोड़ा तो सामान होगा जब्त

प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन या भीड़ जुटाने पर प्रशासन कसब कार्रवाई करेगा। मौके पर लगाए गए टेंट, शामियाना, फर्नीचर, साउंड सिस्टम, लाउडस्पीकर, बैनर और अन्य सामग्री जब्त की जाएगी। संबंधित व्यक्ति और संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय व्याय संहिता की धारा 223, 125, 126, 285 सहित अन्य लागू कानूनी धाराओं के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में आयोजन की अनुमति देने के लिए एसडीएम दुर्ग शहर को अधिकृत किया गया है। इसके लिए आयोजन की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले पूरी जानकारी के साथ आवेदन देना होगा। अनुमति मिलने पर प्रशासन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दी गई अनुमति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।



अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालयों की परेशानी बनी वजह

प्रशासन के अनुसार जिला मुख्यालय के इन मार्गों पर जिला पंचायत, जीएसटी, वन विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, सेंट्रल जेल, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, पंजीयन कार्यालय, नगर निगम, कलेक्टर कार्यालय, जिला व्यायानाय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। इन्हें मार्गों पर जिला अस्पताल भी है। लगातार होने वाले धरना-प्रदर्शन और रैलियों से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी के साथ एंबुलेंस के आवागमन में भी बाधा आने की शिकायतें सामने आई थीं। शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को पढ़ाई और सुरक्षा भी प्रभावित होने की बात प्रशासन ने कही है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में महत्वपूर्ण लोगों की बैठकें होती हैं। धरना-प्रदर्शन के कारण यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायत भी सामने आई थी। नगर निगम के बस स्टैंड का आवागमन भी इससे प्रभावित होता था।

सरकारी कर्मचारियों के एपीएआर में फिर देरी, अब नवंबर तक बढ़ी समय-सीमा

हरिभूमि न्यूज ►►मिलाई

शासकीय कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर की प्रक्रिया तय समय पर पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2025-26 के एपीएआर की समय-सीमा बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत अब

■ एपीएआर प्रक्रिया की संशोधित समय-सारिणी जारी

कर्मचारियों से लेकर मूल्यांकन और समीक्षा करने वाले

अधिकारियों तक को पहले से अधिक समय दिया गया है। विभाग ने आदेश जारी कर एपीएआर प्रक्रिया की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। यह आदेश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के शासकीय सेवकों के लिए है। पहले कर्मचारियों के लिए स्वयं-मूल्यांकन की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। यानी स्व-मूल्यांकन के लिए करीब साढ़े तीन महीने अतिरिक्त दिए गए हैं। इसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन की अंतिम तारीख 15 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर, समीक्षक अधिकारी की तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 30 अक्टूबर और स्वीकार करने वाले अधिकारी की अंतिम तारीख 16 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। एपीएआर की पूरी प्रक्रिया अब नवंबर के अंत तक चलेगी। इससे साफ है कि वर्ष 2025-26 के वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समय पर पूरी नहीं हो पाई है। विभाग ने माना है कि कुछ शासकीय सेवकों का स्पैर पोर्टल पर यूजर चैनल निर्धारित नहीं हुआ है अथवा उनकी ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे कर्मचारियों के एपीएआर को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन या ऑफलाइन मैनुअल माध्यम से पूरा करने की व्यवस्था दी गई है।

बेमेतरा-दुर्ग

हरिभूमि

12

कलेक्टर ने दिए लंबित कार्यों को पूरा करने निर्देश



हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, जनदर्शन एवं पीजीएन पोर्टल पर लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने ई-एचआरएमएस के क्रियाव्ययन की भी जानकारी ली। जिन विभागों में ई-एचआरएमएस की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें एनआईसी से संपर्क कर प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बाने नगी शहर में भी शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होने वाले लगातार धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए तृता मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित किया गया था। इसी तर्ज पर दुर्ग में भी अलग स्थान निर्धारित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर उनके सुझाव भी लिए गए थे।

समीक्षा की गई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 28 आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में हैं। कलेक्टर ने जर्जर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को नरेशा एवं विकसित भारत जी-राम जी योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान तत्काल व्यवस्था सुधार की दिशा में काम करने की हिदायत दी गई। बैठक में आयुष्मान कार्ड और वय वंदन कार्ड के निर्माण में तेजी लाने और शतप्रतिशत कार्ड बनाए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर हरवंश मिश्री, नगर निगम रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा, नगर निगम चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत, एसडीएम लवकेश धुव, एसडीएम महेश राजपूत, एसडीएम उमम धुव, एसडीएम प्रमल्ल गुप्ता, डीटी कलेक्टर सोनल डेविड आदि उपस्थित थे।

सरकारी विभागों को बिजली बिल का भुगतान करने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी विभागों के लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ट्रेजरी अधिकारी को विभागवार बिजली बिल मद्य में उपलब्ध बजट की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित देवकों के भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली बिल मद्य में उपलब्ध बजट से लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। बैठक में सहकारी समितियों के लिए भू-आबंटन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र भू-आबंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग बिजली बिल बकरीा की जानकारी तुरंत अपडेट करें। बिल का भुगतान करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी आगामी दिनों में न हो। उन्होंने इसे लेक्टर निमित्त रूप से समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

यादव कल्याण परिषद सेक्टर 7 ने लगाए भवन पर कब्जा का आरोप



हरिभूमि न्यूज ►►मिलाई

यादव कल्याण परिषद भवन सेक्टर-7 समिति में पद और पदाधिकारियों को लेकर खींचतान चल रही है। दो अलग-अलग अध्यक्ष व कार्यकारिणी समिति के भवन पर अपना एकाधिकार जमा रही है। समिति की ओर से रामा यादव व अन्य ने दूसरे गुट पर कब्जे का आरोप लगाया है। रामा यादव ने बताया कि हरेंद्र राय, रामराज यादव गम्बर, भूपेन्द्र यादव और अन्य द्वारा यादव कल्याण परिषद भवन, सेक्टर-7 भिलाई नगर पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है। रामा यादव ने शासन से अनुरोध किया है कि यादव कल्याण परिषद भवन, सेक्टर-7 को कब्जाधारियों से मुक्त कराया जाए। उन्होंने बताया कि दिसम्बर 2024 में हरेंद्र राय, रामराज यादव, भूपेन्द्र यादव एवं अन्य सहयोगियों द्वारा अनाधिकृत रूप से संस्था का पैरैलल चुनाव दिखाने उप पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं दुर्ग को अभिलेख जमा किया गया था, जिसे अमान्य करते हुए उप पंजीयक दुर्ग ने

■ प्रेसवार्ता में एक गुट ने दूसरे पर लगाया आरोप

भोलानाथ सिंह यादव की अध्यक्षता वाली समिति को वैध मान्य किया। उप पंजीयक दुर्ग के आदेश के विरुद्ध हरेंद्र राय, रामराज यादव (गम्बर), भूपेन्द्र यादव एवं अन्य द्वारा पंजीयक, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर को अपील किया गया जिसको परीक्षणोपरांत पंजीयक रायपुर ने 8 अप्रैल 2026 को खारिज करते हुए भोलानाथ सिंह यादव की अध्यक्षता वाली समिति को वैध ठहराया। रामा यादव ने बताया कि हरेंद्र राय, रामराज यादव (गम्बर), भूपेन्द्र यादव और अन्य सहयोगी भवन पर अवैधानिक कब्जा कर विधि विपरीत गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। वहीं भोलानाथ सिंह यादव की अध्यक्षता वाली समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य शिक्षित, सज्जन एवं विवादों से दूर रहने वाली शांति प्रिय लोग हैं। बैठकों के पूर्व एवं बैठक के दौरान हरेंद्र राय, रामराज यादव (गम्बर), भूपेन्द्र यादव एवं अन्य सहयोगी भय का वातावरण निर्मित करते हैं। रामा यादव ने बताया कि इस मामले में दुर्ग एसएसपी को भी शिकायत की गई है। वे लोग रजिस्टार का आदेश भी नहीं मान रहे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक प्रयाग, काशी विश्वनाथ, हनुमान मंदिर की यात्रा हेतु दुर्ग जिले के 445 वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष या 60 वर्ष के ऊपर को उक्त यात्रा पर भेजा जाएगा। उप संचालक समाज कल्याण दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार तीर्थ दर्शन के लिए 333 ग्रामीण क्षेत्र व 112 शहरी क्षेत्र के यात्री को सम्मिलित करते हुए कुल 445 का

कोटा निर्धारित की गई है। जिसमें 80 प्रतिशत हितग्राही बीपीएल अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्यधारी रेखा के 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल के नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो। इस हेतु आवेदक, संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों से आवेदन प्राप्त कर 10 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य नही किया जाएगा।

खेल दिवस का आयोजन 29 अगस्त को

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। 29 अगस्त को प्रातः 7.30 बजे सुराना कॉलेज मैदान दुर्ग से खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा।

देशप्रेम, सामाजिक समरसता और राष्ट्रनायकों के सम्मान की दिशा में एक पहल

क्रांतिकारी सुखदेव राज की प्रतिमा का अनावरण में मंत्री व सांसद हुए शामिल

हरिभूमि न्यूज ►►दुर्ग

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ की जिला इकाई दुर्ग द्वारा देशप्रेम, सामाजिक समरसता और राष्ट्रनायकों के सम्मान की दिशा में एक अनुकरणीय पहल करते हुए

■ शासकीय कन्या विद्यालय परिसर में स्थापित की गई

महान क्रांतिकारी सुखदेव राज की प्रतिमा शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुर्ग के परिसर में स्थापित की गई। महान क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु की जयंती के अवसर पर सोमवार को आयोजित समारोह में प्रतिमा का अनावरण छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने किया। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद



विजय बघेल, अहिंसा विधायक एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डोमन लाल कोसेवाड़ा, दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार, अरुण बोरा पूर्व विधायक दुर्ग,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एवं

राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव, शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष झरना वर्मा, वार्ड पार्षद सरिता चंद्राकर सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही उपस्थित लोगों ने महान क्रांतिकारी को श्रद्धापूर्वक नमन किया।

विजय बघेल ने कहा कि सुखदेव राज आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के सिलसिले में दुर्ग आए और इसके बाद दुर्ग के ही होकर रह गए। उन्होंने यहां कुछ रोगियों की सेवा का अनुकरणीय कार्य किया। अलका बाघमार ने नगर निगम क्षेत्र में क्रांतिकारी सुखदेव राज की प्रतिमा

जीवनगाथा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को ज्ञापन सौंपकरक्रांतिकारी सुखदेव राज की जीवनगाथा एवं उनके राष्ट्र तथा समाजसेवा संबंधी कार्यों को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सुखदेव राज का जीवन त्याग, संघर्ष, राष्ट्रप्रेम और समाजसेवा की प्रेरणादायी मिसाल है तथा नई पीढ़ी को ऐसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से परिचित कराना आवश्यक है। गजेन्द्र यादव ने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य की सराहना की। उन्होंने क्रांतिकारी सुखदेव राज के जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की

निर्वहन कर रहे हैं। वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के साथी महान क्रांतिकारी सुखदेव राज की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए किया गया यह कार्य अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स महासंघ केवल पेंशनरों के अधिकारों और समस्याओं के लिए संघर्ष करने वाला संगठन ही नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सुखदेव राज की प्रतिमा स्थापना इसी भावना का प्रमाण है। इस अवसर पर बीके वर्मा द्वारा क्रांतिकारी सुखदेव राज के जीवन पर लिखित पुस्तक एक गुमनाम स्वामी क्रांतिकार सुखदेव राज का विमोचन किया। समारोह में प्रवीण कुमार त्रिवेदी, टीपी सिंह, बीएस दसमेर, अनिल पाठक, बीएल गजपाल, आजीजी बोहरे, ओडी शर्मा, आरके दीक्षित, ए शांता, अनुराधा चंद्राकर सहित अन्य मौजूद थे।

